न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 21/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

ऋणी

1. धन्नाराम पुत्र गोविन्द राम
निवासी अहीरों की ढ़ाणी, मण्डा, मदानी मण्डा, ग्राम पलसाना, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर– 332402, राजस्थान।

सहऋणी एवं रहनकर्त्ता

2. संतोष पत्नी धन्नाराम
निवासी 279, बावड़ी वाली कोठी, मण्डा मदानी, ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर– 332402, राजस्थान।
यहां भी...
संतोष
कॉमर्शियल शॉप नम्बर 20, शिव मार्केट, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2492/1/1, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर– 332402 राज़।

सहऋणी

3. मनोहर लाल यादव पुत्र गोविन्द राम
निवासी अहीरों की ढ़ाणी, मण्डा, मदानी मण्डा, ग्राम पलसाना, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर– 332402, राजस्थान।

सहऋणी

4. संतरा देवी पत्नी मनोहर लाल यादव
निवासी अहीरों की ढ़ाणी, मण्डा, मदानी मण्डा, ग्राम पलसाना, तहसील दांतरामगढ़, जिला सीकर– 332402, राजस्थान।
यहां भी...
संतरा देवी
कॉमर्शियल शॉप नम्बर 24, शिव मार्केट, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2492/1/1, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर– 332402 राज़।

सहऋणी एवं रहनकर्त्ता

5. फुली पत्नी गोविन्दा
निवासी 311, बावड़ी, मण्डा मदानी, ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर – 332402, राजस्थान।
यहां भी...
फुली
प्लॉट नम्बर 34, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2494/8, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर– 332402 राज़।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13-5-, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **धन्नाराम, संतोष, मनोहर लाल यादव, संतरा देवी, फुली** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पत्तिः–

(1) कॉमर्शियल शॉप नम्बर 20, शिव मार्केट, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2492/1/1, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर– 332402 राज़, जिसकी नाप 22.22 वर्गगज मालिकाना हक संतोष का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं– पुर्व में : शॉप नम्बर 19, पश्चिम में : शॉप नम्बर 22, 23 एवं 24, उत्तर में : रोड़ 18 फीट, दक्षिण में : शॉप नम्बर 1 है,

(2) कॉमर्शियल शॉप नम्बर 24, शिव मार्केट, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2492/1/1, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर– 332402 राज., जिसकी नाप 33.10 वर्गगज मालिकाना हक संतरा देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं– पुर्व में : शॉप नम्बर 20, पश्चिम में : रोड़, उत्तर में : रोड़ 18 फीट, दक्षिण में : शॉप नम्बर 23 है,

(3) प्लॉट नम्बर 34, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2494/8, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर– 332402 राज, जिसकी नाप 166.66 वर्गगज मालिकाना हक फुली का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं– पुर्व में : रोड़ 30 फीट, पश्चिम में : प्लॉट नम्बर 23, उत्तर में : प्लॉट नम्बर 35, दक्षिण में : प्लॉट नम्बर 33 है,

को बंधक रखकर 10,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.07.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें अंकित किया कि दिनांक 27.03.2019 को 1,00500/– रूपये जमा करवा

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

दिये हैं और बकाया राशि भी जमा करवा दूंगा। अतः कुछ समय दिये जाने हेतु निवेदन किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 06.07..2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **धन्नाराम, संतोष, मनोहर लाल यादव, संतरा देवी, फुली** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अचल सम्पत्ति :-

(1) **कॉमर्शियल शॉप नम्बर 20, शिव मार्केट, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2492/1/1, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर-- 332402 राज़, जिसकी नाप 22.22 वर्गगज मालिकाना हक संतोष का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं-- पुर्व में : शॉप नम्बर 19, पश्चिम में : शॉप नम्बर 22, 23 एवं 24, उत्तर में : रोड़ 18 फीट, दक्षिण में : शॉप नम्बर 1 है,**

(2) कॉमर्शियल शॉप नम्बर 24, शिव मार्केट, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2492/1/1, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर-- 332402 राज., जिसकी नाप 33.10 वर्गगज मालिकाना हक संतरा देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं-- पुर्व में : शॉप नम्बर 20, पश्चिम में : रोड़, उत्तर में : रोड़ 18 फीट, दक्षिण में : **शॉप नम्बर 23 है,**

(3) प्लॉट नम्बर 34, इन पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 2494/8, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर-- 332402 राज, जिसकी नाप 166.66 वर्गगज मालिकाना हक फुली का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं-- पुर्व में : रोड़ 30 फीट, पश्चिम में : प्लॉट नम्बर 23, उत्तर में : प्लॉट नम्बर 35, दक्षिण में : प्लॉट नम्बर 33 है,

का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13-5- 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner